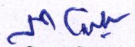
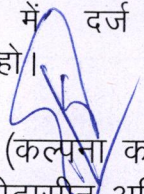


Order Sheet [Contd]

UNC-1946/25
Case No. of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	प्रकरण नेशनल लोक अदालत में पेश। अंतरिम कार्यवाही दिनांक 13.12.2025 परिवादी की ओर से श्री अंजोग यादव अधिवक्ता द्वारा शीघ्र सुनवाई बाबत निवेदन किये जाने पर प्रकरण सुनवाई में लिया गया। परिवादी द्वारा/सहित अधिवक्ता श्री अंजोग यादव उपस्थित। अभियुक्त अनिर्वाहित। इसी प्रक्रम पर परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री अंजोग यादव द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 257 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य न्यायालय के बाहर समझौता हो गया है। समझौते के तहत उभयपक्ष के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहा है। परिवादी अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहता है एवं प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। वर्तमान प्रकरण परिवादी की ओर से अभियुक्त रूपेश दास के विरुद्ध एन.आई.ए.एक्ट के उपबंध के अधीन प्रस्तुत किया गया था जो कि समन मामलों की प्रक्रिया के तहत विचारण किया जा रहा है। परिवादी की ओर से अधिकृत अधिवक्ता श्री अंजोग यादव द्वारा वर्तमान प्रकरण आगे नहीं चलाना व्यक्त करते हुये वापिस लेना चाहा है। अतः उनके पास प्रकरण वापिस लिये जाने/समाप्त किये जाने बाबत पर्याप्त आधार उपलब्ध है ऐसी दशा में परिवादी का निवेदन स्वीकार करते हुये उसे प्रकरण वापिस लेने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है। अतः अभियुक्त रूपेश दास को धारा 138 एन.आई.ए.एक्ट के अपराध से धारा 257 दप्रस/280 बीएनएसएस के तहत हस्तगत परिवाद वापस/समाप्त किये जाने से	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण विधिवत यथासमय अभिलेखागार में जमा हो।  (श्रीमती ममता अग्रवाल) अधिवक्ता एवं सदस्य खण्डपीठ क्रमांक 36 नेशनल लोक अदालत भोपाल  (कल्याण कोतवाल) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क्रमांक 36 नेशनल लोक अदालत भोपाल	